न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 148/2015–16

श्री सोमनाथ व अन्य —बनाम— श्रीमती कुसुमलता व अन्य

उपस्थित : श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदात्री : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत

मौजा देहराखास, परगना केन्द्रीयदून
तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–08/2011–12 अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कुसुमलता बनाम रामस्वरूप आदि में पारित आदेश दिनांक 15–06–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनधिकारी, सदर, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद पत्र के साथ निषेद्याज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2011 भी प्रस्तुत किया गया। पुनः इस वाद में प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता ने दिनांक 24–04–2015 को दावी भूमि पर स्थगनादेश जारी करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14–11–2011 एवं 24–04–2015 पर निगरानीकर्ता पक्ष द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता एवं निगरानीकर्ता की सुनवाई के उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 15–06–2015 से पक्षकारों को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा विवादित भूमि को किसी प्रकार से खुद–बुर्द, निर्माण, क्रय–विक्रय व भूमि स्वरूप परिवर्तन किये जाने से निषिद्व किये जाने के आदेश पारित किए गए जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके साथ निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2011 प्रस्तुत किया गया और यह इस वाद में निगरानीकर्ता द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा–229बी का वाद योजित किये जाते समय तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्टे प्रदान नहीं किया गया। वाद में वादी का साक्ष्य हो चुका है और प्रतिवादी का साक्ष्य प्रारम्भ होना था। इसी बीच वादी द्वारा दिनांक 24–04–2015 को विधि विरूद्व एक स्टे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जिसपर निगरानीकर्ता के पिता स्व0 रामस्वरूप द्वारा

आपत्ति प्रस्तुत की गई। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाते हुए दिनांक 15–06–2015 को आदेश पारित करते हुए विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने, निर्माण, क्रय–विक्रय व भूमि स्वरूप परिवर्तन किये जाने हेतु निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। प्रश्नगत आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम–1 के प्राविधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल जज, सीनियर डिवीजन, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–09–2012 की गलत व्याख्या की गई है जबकि उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही एकपक्षीय रूप से निगरानीकर्तागण अथवा श्री रामस्वरूप पर तामील कराये बगैर एकपक्षीय रूप से करायी गई थी जिसके विरूद्व रामस्वरूप द्वारा अपने जीवनकाल में ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जो कि लम्बित है। प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद सिद्व नहीं किया जिसके कारण प्रश्नगत निषेधाज्ञा आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है। निगरानी स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का निषेधाज्ञा आदेश निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता ने अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था उसके साथ धारा–229डी का प्रार्थना पत्र भी शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसका निस्तारण नहीं किया। वादग्रस्त भूमि को क्रय–विक्रय एवं खुर्द–बुर्द करने से बचाने के लिए उसने पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–04–2015 को पक्षकारों को वादग्रस्त भूमि के क्रय–विक्रय एवं खुर्द–बुर्द करने तथा हस्तान्तरण आदि से निषिद्व करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्तागण ने आपत्ति भी प्रस्तुत की और पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात ही प्रश्नगत निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24–04–2015 पारित किया गया है। यदि वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण या क्रय–विक्रय हो जायेगा तो अधीनस्थ न्यायालय में वाद को चलाये जाने का आधार ही समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय में वाद का अभी निस्तारण नहीं हुआ है और जो निषेधाज्ञा पारित की गई है वह अस्थाई है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तर्वर्तीय आदेश है जिसके विरूद्व निगरानी विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। सिविल न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 01–09–2012 से वादग्रस्त सम्पत्ति में निर्मित मकान के 1/2 हिस्से का स्वामी माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त ही निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2011 एवं 24–04–2015 का निस्तारण किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अभी पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हुआ है और पारित आदेश अन्तर्वर्तीय आदेश है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता ने वादग्रस्त भूमि के बावत एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस वाद में उनके द्वारा वाद पत्र के साथ निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–229डी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम दिनांक 14–11–2011 का निस्तारण होने के कारण उसके द्वारा पुनः वादग्रस्त भूमि के निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में दिनांक 24–04–2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता के द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई जिसकी पुष्टि निगरानीकर्तागण की निगरानी के पैरा संख्या–5 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उनकी आपत्ति से भी होती है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के

प्रश्नगत आदेश दिनांक 15–06–2015 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निषेधाज्ञा आदेश में यह स्पष्ट किय है कि यदि वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई एवं तृतीय पक्ष के हितों के सृजन को नहीं रोका गया तो वादों की बहुलता होगी तथा वादी को न्याय प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब होगा जिसकी भरपाई धन से नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादगीण को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी जिससे यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है। यह भी स्पष्ट है कि यदि वादग्रस्त सम्पत्ति/भूमि को हस्तान्तरण व क्रय–विक्रय से पक्षों को न रोका गया और यदि वाद–विषयवस्तु नहीं बचेगी तो वाद को चलाये जाने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगी।

अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वादग्रस्त सम्पत्ति/भूमि को क्रय–विक्रय, खुर्द–बुर्द एवं हस्तान्तरण आदि से ही पक्षों को निषिद्व किया गया है जिससे किसी पक्ष को कोई हानि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में योजित वाद अभी पूर्णतया निर्णीत नहीं हुआ है और इसमें अभी पक्षों के साक्ष्य आदि आने शेष हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तर्वर्तीय आदेश है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अभी निगरानीकर्तागण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानीकर्ता की निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15–06–2015 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

आदेश

निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 5/2/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।